राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(26)एम.ई./ग्रुप–1/2018 जयपुर, दिनांक 27 FEB 2019

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक प. 1(85)एम.ई./ग्रुप–1/2013 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा डॉ0 अनुज कुमार शर्मा (मेरिट क्रमांक 05/सामान्य (EX), जन्म तिथि 07.08.1985) को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर में नियुक्ति प्रदान की गयी थी। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 शर्मा को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नही करने पर समसंख्यक रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 09.10.2018 द्वारा 03 दिवस में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने अन्यथा स्थिति में नियुक्ति निरस्त करने हेतु नोटिस दिया गया। डॉ0 शर्मा द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण न कर सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (AFMC) पूणे में MS(Obstetrics & Gynecology) कोर्स करने हेतु कार्यग्रहण काल में 06 माह की अभिवृद्धि चाही गयी। जिसके क्रम में समसख्ंयक रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 27.11.2018 द्वारा डॉ0 शर्मा से उक्त कोर्स पूर्ण होने की अवधि की सूचना चाही गयी। डॉ0 शर्मा द्वारा इस सम्बन्ध में आदिनांक तक न तो सूचना भिजवायी गयी और न ही इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया । इस सम्बन्ध में इनके द्वारा न तो इस विभाग को न ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है। नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी तिथि से 6 माह तक ही कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की जा सकती है।

डॉ0 अनुज कुमार शर्मा के द्वारा निर्धारित अवधि में वरिष्ठ प्रदर्शक फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 शर्मा नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है।

अतः अनुज कुमार शर्मा के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक 1(85)एम.ई./ग्रुप–1/2013 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभाग के आदेश कमांक प. 1(85)एम.ई./ग्रुप–1/2013 दिनांक 16.07.2018 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. डॉ0 अनुज कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा C/o श्री प. दिनेश शर्मा, प्लाट नं.75 पटेल विहार विस्तार, नाडी का फाटक, मुरलीपुरा,जयपुर (राज.)(**रजिस्टर्ड डाक से**)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(जी.आर. रावल)
शासन सहायक सचिव